न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 339/2024

अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. आरेफा बी पत्नी दिलावरखांन 2. समीरखां पुत्र दिलावरखान 3. सलमानखांन पुत्र दिलावरखांन जाति मुसलमान निवासी एहसान का तला हाल निवासी शिराज नगर तहसील दर्यापुर जिला अमरावती महाराष्ट्र।		1. दलु पुत्र मसू 2. सिलू पुत्र मसू 3. हसन पुत्र मसू 4. जनत पत्नी हसण जातियान मुसलमान निवासीगण एहसान का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 5. तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित :प्रार्थीगण वकील –श्री मुकीम खान समेजा

विप्रार्थी संख्या 4 के वकील – श्री आम्बाराम पूनड़

दिनांकः–16.04.2025

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण आरेफा बी पत्नी दिलावरखांन जाति मुसलमान निवासी एहसान का तला हाल निवासी शिराज नगर तहसील दर्यापुर जिला अमरावती महाराष्टवगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि "प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के संयुक्त व पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा एहसान का तला पटवार क्षेत्र सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 9 रकबा 4.9614 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 6.2079 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 7.4786 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 371/3 रकबा 3.1404 हैक्टेयर के आए हुए है। वादग्रस्त भूमि पहले प्रार्थीगण के पिता दिलावरखांन व उनके भाईयों के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा दिलावरखांन के फौत होने पर प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित हुई परन्तु दिलावरखां की फौतगी के समय पारित नामान्तरकरण में प्रार्थीगण का वास्तविक नाम क्रमशः आरेफा बी, समीरखां व सलमानखां अंकित न कर उसके स्थान पर आरीफा, गुलाम व मुस्तु अंकित कर दिया जो कि गलत है क्योंकि प्रार्थीगण का वास्तविक नाम आरेफा बी पत्नी दिलावरखांन, समीरखां व सलमानखां पिसरान दिलावरखां है। राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:57:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

में प्रार्थीगण के नाम इन्द्राज किए गए, जबकि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम आरेफा बी पत्नी दिलावरखां, समीरखां व सलमानखां पिसरान दिलावरखां के नाम से इन्द्राज करने थे, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थीगण के नाम की सही जांच किए बिना ही गलत आरीफा, गुलाम व मसू पिता का नाम दीनू के नाम अंकन कर दिया था। इसलिए प्रार्थीगण अपने सही नाम आरेफा बी पत्नी दिलावरखां, समीरखां व सलमानखां पिसरान दिलावरखां राजस्व रेकर्ड में अंकन करवाना चाहते है। प्रार्थीगण आरेफा बी पत्नी दिलावरखां, समीरखां व सलमानखां पिसरान दिलावरखां के नाम से जारी परिवार राशन कार्ड, आधारकार्ड व वोटरकार्ड आदि आरेफा बी पत्नी दिलावरखां, समीरखां व सलमानखां पिसरान दिलावरखां के नाम से जारी हो रखे है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में अरीफा पत्नी दीनू, गुलाम, मसू पिसरान दीनू की जगह आरीफा बी पत्नी दिलावरखां, समीरखां व सलमानखां पिसरान दिलावरखां अंकित होना चाहिए थे, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती व भूल से आरेफा बी पत्नी दिलावरखां, समीरखां व सलमानखां पिसरान दिलावरखां की जगह प्रार्थीगण के गलत नाम अंकित किए है। इसलिए प्रार्थीगण अपने सही नाम आरेफा बी पत्नी दिलावरखां, समीरखां व सलमानखां पिसरान दिलावरखां की दुरुस्ती करवाने के अधिकारी है, जिस हेतु यह नाम दुरुस्ती का आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश है। प्रार्थीगण के मतदाता परिचय पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड की अंकतालिका व प्रार्थीगण के तस्दीकशुदा शपथ पत्र संलग्न पेश है। प्रार्थीगण के सही नाम आरेफा बी पत्नी दिलावरखां, समीरखां व सलमानखां पिसरान दिलावरखां ही है। प्रार्थीगण आरेफा बी पत्नी दिलावरखां, समीरखां व सलमानखां पिसरान दिलावरखां के नाम से गांव व परिवार में जाने जाते है तथा उक्त विरासत का नामान्तरकरण आरेफा बी पत्नी दिलावरखां, समीरखां व सलमानखां पिसरान दिलावरखां के नाम पारित करना था लेकिन राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों ने गलत नाम दर्ज कर भारी कानूनी भूल की है, जिसके कारण प्रार्थीगण को अपनी पैतृक व खातेदारी की भूमि पर ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं के तहत फायदा लेने में कई बार आवेदन किया परन्तु राजस्व रेकर्ड में गलत नाम इन्द्राज होने के कारण ऐसा नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रार्थीगण [illegible] इन्द्राज दुरुस्त करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ग्रामीण व्यक्ति है, जिसे उक्त [illegible] कोई ज्ञान नहीं था तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:37:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

अरसा दो माह पूर्व जब प्रार्थीगण ने हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड की नकल लेकर ऋण हेतु आवेदन करना चाहा तो प्रार्थीगण को उक्त गलत इन्द्राज के बारे में ज्ञान हुआ तब प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार सेड़वा के कार्यालय में जाकर गलत नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तब उन्होंने श्रीमान के समक्ष आवेदन पेश करने का कहा। उक्त खेत मौजा एहसान का तला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में स्थित होने से यह आवेदन श्रीमान के श्रवणाधिकार का है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा एहसान का तला पटवार क्षेत्र सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 9 रकबा 4.9614 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 6.2079 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 7.4786 हैक्टेयर, खसरा संख्या 371/3 रकाब 3.1404 हैक्टेयर में आरीफा पत्नी दीनू, गुलाम, मसू पिसरान दीनू के नाम की दुरुस्ती कर प्रार्थीगण के सही नाम आरेफा बी पत्नी दिलावरखां, समीरखां व सलमानखां पिसरान दिलावरखां का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने का आदेश प्रदान करावें।''

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थी संख्या 04 की ओर से अधिवक्ता श्री आम्बाराम पूनड़ ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया, जिसे शामिल मिसल किया गया। विप्रार्थी संख्या 04 के वकील ने जवाब में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है।विप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। विप्रार्थी संख्या 03 के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इस संबंध में न्यायालय के पत्रांक/रीडर/2025/144 दिनांक 12.02.2025 द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार सेड़वा को तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया, जो कि उनके कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2025/672 दिनांक 18.03.2025 द्वारा प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन **''ग्राम एहसान का तला के खसरा नंबर 371/3, 9, 98, 99 रकबा क्रमशः 3.1404 हैक्टेयर, 4.9614 हैक्टेयर, 6.2079 हैक्टेयर, 7.4786 हैक्टेयर में खातेदार आरिफा बी पत्नी दिलावरखां के स्थान पर आरिफा पत्नी दिनू, समीरखां पुत्र दिलावरखां के स्थान पर गुलाम पुत्र दिनू तथा सलमानखां पुत्र दिलावरखां के स्थान पर मसू पुत्र दिनू दर्ज हो गया। उक्त गलत नाम जरिए नामान्तरकरण संख्या 402 स्वी. दिनांक 20.09.2007 द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गए। उक्त नाम के संबंध में ग्रामीणों से पूछताछ की गई तथा बताया कि उक्त नाम का कोई व्यक्ति एहसान का तला में निवास नहीं करता है। बचपन में सलमानखां को मसू तथा समीरखां को गुलाम के नाम**

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:57:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

राजस्व आवेदन संख्या 339/2024
उनवान आरेफा बी बनाम दलू वगैरा

से पुकारते थे, जिससे भूलवश उक्त गलत नाम रेकर्ड में दर्ज हो गए। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज आधार कार्ड, परिचय पत्र इत्यादि में आरिफा बी पत्नी दिलावरखां, समीरखां पुत्र दिलावरखां व सलमानखां पुत्र दिलावरखां दर्ज है। उक्त नाम के संबंध में पूछताछ व जांच उपरान्त ग्राम एहसान का तला के खसरा नंबर 371/3, 9, 98, 99 में खातेदार आरिफा पत्नी दिनू गुलाम मसू पि. दिनू के स्थान पर आरिफा बी पत्नी दिलावरखां समीरखां, सलमानखां पि. दिलावरखां नाम दुरुस्त किया जाना उचित है। मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान अंकित करवाए।''मौका जांच तथ्यात्मक प्रतिवेदन में संबंधित पक्षकारान् के हस्ताक्षर अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्राथीगण अधिवक्ता व विप्रार्थी संख्या 04 के अधिवक्ता ने बहस की। विप्रार्थी संख्या 04 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 339/2024 उनवान आरेफा बी बनाम दलू वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन **प्रार्थीगण आरेफा बी पत्नी दिलावरखांन जाति मुसलमान निवासी एहसान का तला हाल निवासी शिराज नगर तहसील दर्यापुर जिला अमरावती महाराष्टवगैरा का प्रार्थना पत्र** अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर **प्रार्थीगण की खातेदारी खेत मौजा एहसान का तला पटवार क्षेत्र सालारिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 9 रकबा 4.9614 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 6.2079 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 7.4786 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 371/3 रकबा 3.1404 हैक्टेयर भूमि केराजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम** आरीफा पत्नी दीनू, गुलाम, मसू पिसरान दीनू के स्थान पर आरिफा बी पत्नी दिलावरखां, समीरखां सलमानखां पि. दिलावरखां करने के आदेश दिए जाते है, तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती करने का आदेश दिया जाता हैं। **तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौकाजांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ. /2025/672 दिनांक 18.03.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 07.03.2025व जमावंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.05 20:57:26 IST
Reason: SelfAttested

(बद्रीनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा